





श्री. म. टी. उमिता देवी ..... बनाम श्री. रामप्रसाद .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	<p>26.2.26 पत्रावली पेश हुई। आज बार एसोसियेशन, भीलवाड़ा, द्वारा कार्य स्थगन किया हुआ है। अतः पत्रावली वास्ते साबिक आदेश दिनांक 24.3.26 को पेश हो।</p> <p> आज्ञा से रीडर</p> <p>24.3.26 पत्रावली पेश हुई। आज बार एसोसियेशन, भीलवाड़ा, द्वारा कार्य स्थगन किया हुआ है। अतः पत्रावली वास्ते साबिक आदेश दिनांक 28.4.26 को पेश हो।</p> <p> आज्ञा से रीडर</p>	
28.4.26	<p>पत्रावली पेश हुई। आज बार एसोसियेशन, भीलवाड़ा, द्वारा कार्य स्थगन किया हुआ है। अतः पत्रावली वास्ते साबिक आदेश दिनांक 26.5.26 को पेश हो।</p> <p> आज्ञा से रीडर</p>	
16.5.26	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/पत्नी अनुपस्थित। वादी/पत्नी अनुपस्थित। प्रकाश में वकील वादी/पत्नी को अधिवक्त रूप में मक-मक का तीनों बार आवामेला गई गई, लेकिन उनकी कोर्ट में कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। वकील वादी व वादी को अनुपस्थित रहने से प्रकाश को अदम्य हाजरी व अदम्य पेशी के कारण खिंचा जाऊ उचित प्रतीत होता है। एसी सिद्धांत में प्रकाश को अदम्य हाजरी व अदम्य पेशी के कारण खिंचे जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। अतः पत्रावली परमम सुकार होकर हमें नम्बर में काम खिंचा जाकर दायित्व - दायर हो।</p> <p> उपखण्ड अधिकारी झारखण्ड (राज्य)</p>	